तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/एलआर/6245,6246 एवं 6247/2005/दौसा भोरी लाल वगैराह बनाम विनोद वगैराह	

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

__उपस्थित__

श्री गौरव दवे, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

__निर्णय__

दिनांक 20.06.2018

प्रार्थीगण ने यह तीनों निगरानी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 83 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 107/2004, 108/2004 एवं 109/2004 पारित निर्णय दिनांक 02-12-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

तीनों निगरानी प्रकरण के तथ्य विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किये जाने के कारण विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से इन तीनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी ने तहसीलदार, दौसा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 384 रकबा 0.02 एयर भूमि पर गैर मुमकिन चाह का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 11-06-2002 से प्रार्थीगण को बेदखल करने का आदेश पारित किया। प्रार्थीगण ने गैर मुमकिन चाह के नियमन के लिए आवेदन किया, फिर अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर नियमन में प्रार्थीगण के साथ उनका नाम भी सम्मिलित करनेका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6245,6246 एवं 6247/2005/दौसा भोरी लाल वगैराह बनाम विनोद वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुरोध किया, जो अस्वीकार किया जाकर बेदखली एवं शास्ती के आदेश दिनांक 21-6-2002 व 06-08-2002 को पारित किये। तहसीलदार, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-6-2002 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने जिला कलक्टर के समक्ष अपील संख्या 45/2002 प्रस्तुत की। दूसरी अपील संख्या 52/2002 प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 21-6-2002 के विरूद्ध जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। तीसरी अपील संख्या 59/2002 प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-8-2002 को विरूद्ध जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिला कलक्टर, दौसा द्वारा तीनों को एकजाई कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20-7-2004 से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 52/2002 एवं 59/2002 को आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6-8-2002 को निरस्त कर दिया। साथ ही आदेश दिनांक 11-6-2002 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणों में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें तथा अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 45/2002 को खारिज कर दिया। जिला कलक्टर द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 02-12-2005 से तीनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि चाह का नियमन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में करें। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इसी निर्णय से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6245,6246 एवं 6247/2005/दौसा भोरी लाल वगैराह बनाम विनोद वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह तीनों निगरानी प्रस्तुत की गई है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि गैर मुमकिन चाह का निर्माण प्रार्थीगण द्वारा ही करवाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 द्वारा न तो गैर मुमकिन चाह का निर्माण किया है और ना ही उस पर कुछ भी खर्च किया गया है, केवल रिश्तेदारी की आड में प्रार्थीगण को बिना वजह परेशान करने की नियत से नियमन के प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण के साथ उनका नाम भी सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया, जिसे तहसीलदार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में तथा चाह का नियमन संयुक्त रूप से चारों के नाम करने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी को प्रदान करने में विधिक एवं तात्विक अनियमितता कारित की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों निगरानी प्रकरणों को स्वीकार किया जाकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एव ंपदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय को बहाल रखा जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6245,6246 एवं 6247/2005/दौसा भोरी लाल वगैराह बनाम विनोद वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 ने संयुक्त रूप से गैर मुमकिन चाह का निर्माण किया था। कोठी बनाने के पश्चात् प्रार्थीगण के मन मेंबेईमानी आ गयी और उन्होंने अपने नाम से ही चाह के नियमन की कार्यवाही की। उनका कथन है कि हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 4-7-2002 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण चारों के द्वारा कोठी बनाने का उल्लेख किया गया है। उनका कथन है कि ठेकेदार के भी बयान हुए जिसमें भी कोठी चारों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाना बताया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तीनों निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में गैर मुमकिन चारागाह भूमि पर गैर चाह का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या गैर मुमकिन चारागाह भूमि पर विवादित चाह अर्थात कुंए का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार के आदेश पर हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि चाह का निर्माण न तो अकेले प्रार्थीगण द्वारा किया गया है और ना ही अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 द्वारा अकेले किया गया है बल्कि भौरीलाल, रामनाथ, रामेश्याम एवं विनोद कुमार द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6245,6246 एवं 6247/2005/दौसा भोरी लाल वगैराह बनाम विनोद वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संयुक्त रूप से किया गया है तथा कोठी का निर्माण भी संयुक्त रूप से चारों व्यक्तियों द्वारा ही किया गया है। कोठी बनाने वाले ठेकेदार के बयान से भी स्पष्ट है कि चारों व्यक्तियों द्वारा ही निर्माण करवाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में गैर मुमकिन चारागाह भूमि पर जिस विवादित चाह का निर्माण किया गया है, उससे लगते हुए चारों पक्षकारों की खातेदारी की भूमि है। प्रस्तुत प्रकरण में योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि विवादित चाह का निर्माण प्रार्थीगण द्वारा अकेले करवाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	